राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग

क्रमांकः प0 13 (51)का./क–1/गो.प्र./2016 जयपुर, दिनांकः 30 JUN 2016

परिपत्र

आपको विदित ही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को वर्ष 2013–14 से तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को वर्ष 2015–16 से कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) ऑन–लाइन भरा जाना आवश्यक हो गया है। अखिल भारतीय सेवा (निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 शिड्यूल 9 में प्रत्येक स्तर (प्रतिवेदित/प्रतिवेदक/समीक्षक/ स्वीकारकर्ता प्राधिकारी) पर प्रतिवेदन अग्रेषित करने हेतु समय सीमा (Cut-off dates) निर्धारित की हुई है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 21 अप्रेल, 2015 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) ऑन–लाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। टंकित एवं डॉक द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑन–लाईन प्रतिवेदन भरते समय भी उक्त निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाना आवश्यक है। निर्धारित समय सीमा पश्चात् ऑन–लाईन अग्रेषित करने का ऑप्शन भारत सरकार द्वारा किसी भी समय बन्द किया जा सकता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनों में जिनमें प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता प्राधिकारी जनप्रतिनिधि या ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास DSC नहीं है। ऐसे प्राधिकारियों से कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन भरवाने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जावे :–

संबंधित अधिकारी स्वंय अपने कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रिंट निकालकर मुख्य सचिव कार्यालय को प्रेषित करें। ऐसे प्रतिवेदन मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा संबंधित प्राधिकारी को टिप्पणी हेतु प्रेषित किये जा सकेंगें।

अथवा

संबंधित अधिकारी स्वंय अपने कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रिंट निकालकर शेष पृष्ठ (कार्मिक विभाग की Web Site पर उपलब्ध) सलंग्न कर संबंधित प्राधिकारी को Off Line प्रेषित करते हुए मुख्य सचिव कार्यालय को सूचित करें। वे प्राधिकारी उस पर टिप्पणी अंकित कर मुख्य सचिव कार्यालय में प्रेषित कर देवें, जिससे इन्हें On Line संबंधित प्राधिकारी के A/C में अपलोड़ किया जा सके।

कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) निर्धारित समय पर पूर्ण करने हेतु समय–समय पर मोबाईल पर एसएमएस संदेश द्वारा स्मरण कराया जा रहा है। अधिकारियों के प्रतिवेदन समय पर पूर्ण न होने पर संबंधित अधिकारी की भारत सरकार में Empanelment एवं पदोन्नति प्रभावित होती है।

अतः भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के समस्त अधिकारियों/संबंधित प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्वयं एवं अपने अधीन अधिकारियों के लम्बित प्रतिवेदन यथाशीघ्र पूर्ण कर, अगले स्तर पर ऑन–लाईन अग्रेषित करें।

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारीगण, राजस्थान संवर्ग।
2. भारतीय पुलिस सेवा के समस्त अधिकारीगण, राजस्थान संवर्ग।
3. सचिव, राज्यपाल महोदय।
4. सचिव I/II, मुख्यमंत्री महोदया।
5. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (क–1) विभाग को वेब साईट पर up-load करने हेतु।

(भास्कर ए. सांवत)
शासन सचिव